



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2025-03007

— समक्ष —

श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य

मेसर्स मोनिका बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
प्रोपराईटर—श्री सतीश कुमार जैन,
द्वारा—अधिकृत पॉवर ऑफ अटार्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन,
पता—डी-432, MLA कॉलोनी के पास,
टैगोर नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

..... आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती विनीता मसीह, पिता—श्री संतोष मसीह,
पता—मकान क्रमांक—95, रिद्धी सिद्धी लोटस पार्क सेक्टर—2,
ग्राम—बोरियाकला, जिला—रायपुर (छ.ग.)

..... अनावेदिका

उपस्थिति :-

(1) श्री शाश्वत् सुराना, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।

(प्रोजेक्ट—“रिद्धी सिद्धी लोटस पार्क सेक्टर—2”, बोरियाकला, जिला—रायपुर)
रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA130718000535

आदेश

(दिनांक—17 / 11 / 2025)

आवेदक मेसर्स मोनिका बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा—अधिकृत पॉवर ऑफ अटार्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन, पता—डी-432, MLA कॉलोनी के पास, टैगोर नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 एतद् पश्चात् अधिनियम छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका—35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदिका के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि आवेदक स्वामित्वधारी फर्म है तथा भू-संपदा प्रोजेक्ट “रिद्धी सिद्धी लोटस पार्क सेक्टर—2” ग्राम—बोरियाकला, जिला—रायपुर में स्थित 2.891 हेक्टेयर भूमि का अनुमोदित ले—आउट के साथ प्राधिकरण में पंजीयन नंबर—PCGRERA130718000535 का प्रमोटर है। प्रोजेक्ट को सभी प्रभावी विधियों के अनुपालन में विकसित किया गया है और प्रोजेक्ट के लिये सक्षम प्राधिकरी द्वारा दिनांक 21.07.2020 को सम्यक निरीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अनावेदिका द्वारा विक्रय विलेख में यथा उल्लेखित प्रतिफल

के अनुसार प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अपने इकाई भूखण्ड क्रमांक-95 के खरीदी के लिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.05.2016 को निष्पादित किया गया था। निष्पादन के पश्चात् उक्त इकाई का आधिपत्य अनावेदिका को सुपुर्द कर दिया गया था, जो अपने आवश्यकतानुसार इकाई का उपयोग कर रहा है।

आवेदक द्वारा प्रदान की गई सभी सामान्य सुविधाओं एवं अनुरक्षण सेवाओं का उपभोग करने के बावजूद अनावेदिका अपने इकाई के लिये 800/- रुपये प्रतिमाह की दर से दिसम्बर, 2020 से जनवरी, 2025 तक की अवधि का रूपये 40,000/- बकाया अनुरक्षण राशि का भुगतान करने में असफल हुआ है। सतत् मौखिक एवं लिखित स्मरणों को जारी किया गया था, तथापि अनावेदिका, आवेदक से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु असद्भावपूर्ण आशय से इन भुगतानों को करने में जान-बूझकर व्यतिक्रम किया गया है। आवेदक द्वारा कई बार निवेदक कॉल, स्मरणों तथा लिखित मांग पत्र से संबोधित किया गया तथा अनावेदिका एवं अन्य इकाई मालिकों के साथ सौहार्दपूर्ण समस्या को हल करने के लिये बैठक रखी गई। तथापि अनावेदिका द्वारा आधारहीन बहानों एवं भुगतान को टालने का असद्भावपूर्ण आशय को उद्घृत करते हुये सभी संसूचनाओं को जान-बूझकर नजरअंदाज किया गया था। अनावेदिका द्वारा प्रारंभ में तीन वर्षों के लिये अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किया गया है, परन्तु इसके पश्चात् भुगतान में विलंब कर रहा है तथा जान-बूझकर पिछला बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-11(4)(घ) के अनुसार प्रमोटर आबंटिती संघ बनने तक प्रोजेक्ट का अनुरक्षण करने के लिये आबद्ध है। तदनुसार आवेदक अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुये प्रोजेक्ट के अनुरक्षण खर्चों का लगातार सहन किया गया है। अनावेदिका का भुगतान नहीं करना, रेरा अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं विक्रय विलेख की शर्तों का भंग गठित होता है। गलत सूचनाओं से मार्गदर्शित तथा अन्य रहवासियों से प्रभावित अनावेदिका का व्यवहार न केवल आधारहीन है, अपितु साम्या एवं न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। भुगतान में विलंब से आवेदक पर गंभीर वित्तीय दबाव कारित हुआ है, जो प्रोजेक्ट के रखरखाव की कार्यात्मक लागत को सतत् वहन किया गया है।

रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-19(6) एवं धारा-19(7) के अंतर्गत अनावेदिका एक आबंटिती के रूप में अनुरक्षण शुल्क तथा किसी विलंबित भुगतान के लिये ब्याज का भुगतान करने को आबद्ध है। आवेदक कारित वित्तीय एवं मानसिक दबाव के लिये क्षतिपूर्ति सहित बकाया राशि के वसूली के लिये अनुतोष की याचना करता है। आवेदक ने अनावेदिका द्वारा भुगतान में जान-बूझकर विलंब के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय हानि एवं मानसिक पीड़ा सहन किया है, जिसके लिये आवेदक रूपये 25,000/- क्षतिपूर्ति आवेदक को भुगतान करने के लिये दायी है, परन्तु जो इतने तक में ही सीमित नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा अपने स्वयं के

पैसों से प्रोजेक्ट का अनुरक्षण कर रहा है। अनावेदिका के लापरवाही पूर्ण आचरण से मजबूर होकर आवेदक प्राधिकरण का शरण लेने को आबद्ध है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष चाहा गया है। रेरा अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित रूपये 40,000/- बकाया अनुरक्षण राशि भुगतान करने हेतु अनावेदिका को निर्देशित किया जाये। आबंटिती संघ को सामान्य क्षेत्रों को सुपुर्द करने तक मासिक अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करने हेतु अनावेदिका को निर्देशित किया जाये। आवेदक द्वारा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु रूपये 25,000/- दिलाये जाने हेतु अधिनिर्णीत किया जाये। आवेदक को वाद व्यय दिलाये जाने तथा अन्य अनुतोष प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदिका को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. सुनवाई तिथी दिनांक 22.09.2025 को अनावेदिका स्वतः अथवा उसकी ओर से कोई अन्य उपस्थित नहीं हुये। अनावेदिका को नोटिस संबंधी पोस्ट Post track consignment से स्पष्ट है कि नोटिस तामिल हुई है। दिनांक 10.10.2025 को अनावेदिका पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुये। अनावेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। दिनांक 29.10.2025 को भी अनावेदिका पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में आवेदक पक्ष के अंतिम तर्क का श्रवण किया गया, तदुपरांत प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया।
4. आवेदक के आवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन करने एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय के बिंदु निर्धारित किए जाते हैं:-
 1. क्या प्राधिकरण को प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार है?
 2. क्या आवेदक का आवेदन समय-सीमा के भीतर है?
 3. क्या आवेदक को वांछित अथवा किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यदि हाँ तो अनुतोष की मात्रा एवं उसका स्वरूप किस प्रकार होगा।
5. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-01 के विनिश्चयन का आधार :-** अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आवेदक प्रमोटर है, जिसके द्वारा "रिद्धी सिद्धी लोटस पार्क सेक्टर-2" ग्राम-बोरियाकला, जिला-रायपुर (छ.ग.) प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। अनावेदिका उक्त प्रोजेक्ट में भूखण्ड क्रमांक-95 क्रय करते हुए निवासरत है। अतः वह आबंटिती है। आबंटिती एवं संप्रवर्तक के मध्य अंतरसंबंध है। आवेदन अनावेदिका द्वारा मेंटनेंस प्रभार नहीं दिये जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, अतः उभय पक्ष के मध्य अधिनियम के अधीन विवाद की स्थिति है। अधिनियम की

धारा-11 (4)(घ) "आबंटितियों के संगम द्वारा परियोजना के अनुरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने तक युक्तियुक्त प्रभारों पर अनिवार्य सेवाएँ उपलब्ध कराने और उन्हें बनाए रखने के लिये उत्तरदायी होगा" आवेदन मेंटनेंस प्रभार अनावेदिका से प्राप्त किये जाने के संदर्भ में है। अतः आवेदन अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के विचारण क्षेत्राधिकार में है।

6. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-02 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा-11(4)(घ) के अधीन संप्रवर्तक सोसायटी को प्रोजेक्ट हस्तांतरण होने तक मेंटनेंस देने के लिये उत्तरदायी है, जिसे वह रहवासियों की सहमति से युक्तियुक्त प्रभार पर संपादित कर रहा है। किंतु अनावेदिका द्वारा मेंटनेंस प्रभार नहीं दिया जा रहा है। अनावेदिका अधिनियम की धारा-19(6) एवं धारा-19(7) के अधीन मेंटनेंस प्रभार देने के लिये बाध्य है। किंतु आबंटिती द्वारा मेंटनेंस प्रभार नहीं दिया जा रहा है। मेंटनेंस एक सतत् प्रक्रिया है। अतः मेंटनेंस प्रभार भी निरंतर एवं सतत् रूप से देय राशि है। अस्तु प्रस्तुत आवेदन कालसीमा के भीतर है। आवेदक द्वारा दिसम्बर, 2020 से जनवरी, 2025 की अवधि के लिए मेंटनेंस राशि की माँग की गई है। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार सामान्य समय सीमा तीन वर्ष की है, अतः प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.08.2025 अनुरक्षण प्रभार जुलाई, 2022 के पश्चात् कालसीमा के भीतर मानते हुए तथा दिसम्बर, 2020 से लेकर जून, 2022 तक का आवेदन कालबाधित मानते हुए कालसीमा का निराकरण किया जा रहा है। जुलाई, 2022 से जनवरी, 2025 तक कालसीमा के भीतर है। दिसम्बर, 2020 से जून, 2022 तक के लिये याचित अनुरक्षण प्रभार काल सीमा बाह्य है। अतः आवेदन दिसम्बर, 2020 से जून, 2022 तक की अवधि के लिये काल बाधित मानते हुये शेष अवधि के लिये कालसीमा के भीतर मान्य किया जाता है।

अधिनियम की धारा-11(4)(घ) के अधीन आवेदक मेंटनेंस करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आबद्ध है। अधिनियम की धारा-19(6) के अधीन आबंटिती मेंटनेंस प्रभार देने हेतु बाध्य है।

7. **विनिश्चय के बिंदु क्रमांक-03 के विनिश्चयन का आधार :-** आवेदक द्वारा अनावेदिका से मेंटनेंस प्रभार आधिपत्य दिसम्बर, 2020 से 800/- रुपये प्रतिमाह की दर से दिनांक 31.01.2025 तक 40,000/- रुपये दिलाये जाने हेतु प्राधिकरण से याचना की गई है।

भू-संपदा का मेंटनेंस एक सतत् प्रक्रिया है। सुविधापूर्ण रहवास हेतु यह आबंटितियों द्वारा अधिनियम की धारा-19(6) के अधीन मेंटनेंस प्रभार मेंटनेंस कार्य हेतु प्रोजेक्ट के सोसायटी को हस्तांतरित होने तक आवेदक को देना आबंटिती का दायित्व है। अतः प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि अधिनियम की धारा-11(4)(घ) के

अधीन दायित्वाधीन होने के कारण आवेदक अधिनियम की धारा-19(6) के अंतर्गत अनावेदिका से आवेदन अनुसार मेंटनेंस प्रभार प्राप्त करने का अधिकारी है। काल सीमा बाधित अवधि दिसम्बर, 2020 से जून, 2022 अर्थात् 30 माह की अवधि के लिये प्रभार देय नहीं होगा तथा आवेदन दिनांक 13.08.2025 से तीन वर्ष के भीतर की मांग अर्थात् जुलाई, 2022 से अनुरक्षण प्रभार वांछित अनुतोष जनवरी, 2025 तक देय होगा अर्थात् 31 माह के लिये समानुपातिक राशि 24,800/- रुपये देय होगा।

8. अस्तु समग्र विश्लेषण पश्चात् प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
- अनावेदिका, आवेदक को 45 दिवस के भीतर 24,800/-रुपये, जुलाई, 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक की अवधि तदुपरांत नियमित अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करें तथा उक्त देय राशि पर अधिनियम की धारा-19(6)(7), नियम-17 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर मार्जिनल ब्याज दर 9.10 प्रतिशत + 2 प्रतिशत अर्थात् 11.10 प्रतिशत के ब्याज दर पर ब्याज राशि 7,111/-रुपये अर्थात् कुल राशि 31,911/-रुपये का भुगतान करें।

सही /-
(धनंजय देवांगन)
सदस्य

सही /-
(संजय शुक्ला)
अध्यक्ष